बिहार सरकार

समाहरणालय, सहरसा

(जिला स्थापना शाखा)

।।–आदेश–।।

बिहार सरकार

श्री राजेश कुमार वर्मा, निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, सोनवर्षा के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, पतरघट प्रखंड नजारत का प्रभार नहीं देने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह होने एवं सरकारी राशि के अस्थायी गबन के कारण बिहार सरकारी सेवक आचरण (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के अधीन इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 1442/स्था० दिनांक 07-08-2013 द्वारा श्री वर्मा को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु "प्रपत्र–क" में आरोप गठित करने का निदेश निर्गत किया गया। श्री वर्मा के विरूद्ध आरोप पत्र "प्रपत्र–क" में गठन कर इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1296/स्था० दिनांक 09-12-2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त, सहरसा एवं संचालन पदाधिकारी को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। उप विकास आयुक्त, सहरसा के द्वारा कार्यालय पत्रांक 57–2 दिनांक 29.03.2016 से संचालित कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया।

अतः तदनुसार आरोपी कर्मी श्री वर्मा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र "प्रपत्र–क" श्री वर्मा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी–सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी पतरघट एवं संचालन पदाधिकारी –सह– उप विकास आयुक्त, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन की विवेचना निम्नवत की गई है।

आरोप संख्या	आरोप	आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का प्रतिवेदन	संचालन पदाधिकारी, सहरसा का मन्तव्य
01	जिला पदाधिकारी, सहरसा के आदेश ज्ञापांक 621 दिनांक 20-06-2011 द्वारा श्री राजेश कुमार वर्मा, उ0व0 लिपिक का स्थानान्तरण पतरघट प्रखंड से सोनवर्षा प्रखंड किया गया। आदेशानुसार श्री वर्मा को दिनांक 27-06-2011 तक प्रभार सौंपकर विरमित होना था, परन्तु श्री वर्मा दिनांक 28-06-2011 को बिना प्रभार दिये स्वतः विरमित हो गये। लगभग तीन माह विलम्ब से दिनांक 20-09-2011 को सोनवर्षा प्रखंड में योगदान दिये जो कर्तव्य के प्रति लापरवाही एवं उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना का द्योतक है।	इस आरोप के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं समर्पित किया गया। द्वितीय कारण–पृच्छा अंतर्गत श्री वर्मा ने उल्लेख किया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट द्वारा पतरघट प्रखंड में पुनः पदस्थापन कराए जाने संबंधी आश्वासन के कारण मैं तीन माह पश्चात सोनवर्षा प्रखंड में योगदान कर सका।	जिलाधिकारी के आदेशानुसार आरोपी कर्मी श्री राजेश कुमार वर्मा को 27-06-2011 तक अपना पूर्ण प्रभार सौंपकर सोनवर्षा प्रखंड में योगदान हेतु विरमित होना था परन्तु वे प्रभार न देकर 28-06-2011 को बिना किसी आदेश/ अनुमति के प्रखंड कार्यालय सोनवर्षा में योगदान करने के लिए प्रस्थान कर गये। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक 1480-2 दिनांक 29-06-2013 के अनुसार उन्होंने लगभग तीन माह के पश्चात 20-09-2011 को प्रखंड कार्यालय, सोनवर्षा में योगदान किया। इतनी लम्बी अवधि तक फरार रहकर उन्होंने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचय तो दिया ही साथ ही प्रखंड कार्यालय, पतरघट के नजारत का प्रभार नहीं सौंपकर सरकारी कार्य को बुरी तरह प्रभावित किया।	आदेशानुसार आरोपी कर्मी श्री राजेश कुमार वर्मा, प्रखंड कार्यालय, पतरघट द्वारा दिनांक 27-06-2011 तक पूर्ण प्रभार सौंपकर दिनांक 28-06-2011 को प्रखंड कार्यालय सोनवर्षा में योगदान दिया जाना था। श्री वर्मा बिना किसी सूचना के प्रखंड कार्यालय, पतरघट से दिनांक 28-06-2011 को फरार हो गए। इनके द्वारा लगभग तीन माह के पश्चात दिनांक 20-09-2011 को प्रखंड कार्यालय सोनवर्षा में योगदान दिया गया। बिना किसी पूर्व सूचना के लगभग तीन माह तक अपने कर्त्तव्य से फरार रहना आरोपी कर्मी का अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। "प्रपत्र–क" में गठित आरोप संख्या 01 की पुष्टि होती है।

आरोप संख्या	आरोप	आरोपी कर्मी का स्पष्टीकरण	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी का प्रतिवेदन	संचालन पदाधिकारी, सहरसा का मन्तव्य
02	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा कार्यालय पत्रांक 2059–2 दिनांक 10-10-2011 द्वारा श्री वर्मा को दिनांक 10-10-2011 से 14-10-2011 तक प्रखंड कार्यालय पतरघट में प्रभार सौपने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। लेकिन श्री वर्मा 10-08-2013 को यानी 1 वर्ष 10 माह के बाद प्रखंड कार्यालय पतरघट में योगदान समर्पित किये। उक्त अवधि में श्री वर्मा फरार रहे, जिसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा ने अपने पत्रांक 1480–2 दिनांक 29-06-2013 द्वारा जिलाधिकारी, सहरसा को समर्पित किये।	इस आरोप के संदर्भ में अपना कोई स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया। द्वितीय कारण–पृच्छा में श्री वर्मा ने स्पष्ट किया है कि पतरघट प्रखंड के किसी कर्मी द्वारा प्रखंड नजारत का प्रभार प्राप्त नहीं किए जाने के कारण प्रभार हस्तगत कराने में विलम्ब हुआ। फलतः पुनः सोनवर्षा प्रखंड में योगदान नहीं कर सका।	प्रखंड कार्यालय, पतरघट से निर्गत ज्ञापांक–01 कैम्प दिनांक–21-09-2011 के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा कार्यालय पत्रांक–2059&2 दिनांक– 10-10-2011 द्वारा आरोपी कर्मी श्री वर्मा को पाँच दिनों के लिए, अर्थात दिनांक 10-10-2011 से 14-10-2011 तक प्रखंड नजारत, पतरघट का प्रभार सौंपने हेतु प्रतिनियुक्त किया था, लेकिन आरोपी कर्मी 1 वर्ष 10 माह के बाद 10-08-2013 को प्रखंड कार्यालय, पतरघट में योगदान किये। इतनी लम्बी अवधि के बाद भी आज तक प्रखंड नजारत, पतरघट का पूर्ण प्रभार नहीं सौंपा गया है। तत्पश्चात आंशिक प्रभार अंचल नाजीर को दिये। उनका यह आचरण सक्रिय सेवा में रहते हुए फरार रहना सेवा नियमावली के विरूद्ध है और अनुशासनहीनता का भी द्योतक है।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनवर्षा द्वारा दिनांक 10-10-2011 को आरोपी कर्मी श्री वर्मा को दिनांक 14-10-2011 तक प्रखंड नजारत, पतरघट का प्रभार सौंपने हेतु प्रतिनियुक्त किया गया। ततपश्चात श्री वर्मा द्वारा दिनांक 10-08-2013 को प्रखंड कार्यालय पतरघट में योगदान दिया गया। स्पष्ट है कि श्री वर्मा 01 वर्ष 10 माह के पश्चात प्रखंड कार्यालय पतरघट में योगदान दिये हैं। इतनी लंबी अवधि तक बिना किसी पूर्व सूचना के फरार रहना आरोपी कर्मी के कर्त्तव्य हीनता एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है। "प्रपत्र–क" में गठित आरोप संख्या 02 की पुष्टि होती है।
03	लगभग तीन वर्ष की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद आजतक श्री वर्मा द्वारा निम्न राशि का प्रभार नहीं दिया गया है:– 1) सामान्य अग्रिम– 25987315.00 2) अग्रिम बाढ़ एवं अग्नि 10584813.00 3) अग्रिम निर्वाचन 78637.00 4) सामान्य अभिश्रव	श्री वर्मा प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट के आदेश के आलोक में UBGB खाता संख्या 2525 (इ०आ०यो०) से 1,05,00,000/– खाता संख्या 2652 (विधायक मद) से 5,05,000/– CBI खाता संख्या–4403 (इ०आ०यो०) से 50,00,000/– एवं खाता संख्या– 31 (इ०आ०यो०) से 1,04,00,000/– कुल मो० 2,64,05,000/– की निकासी की गई थी। उपरोक्त 2,64,05,000/– में से बाढ़ राहत सहाय्य मद में मो० 2,32,12,577/– रूपये व्यय किया गया जो प्रखंड रोकड़ पंजी से स्पष्ट है, जिसकी सत्यापन रोकड पंजी एवं अन्य सबंधित पंजी	प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट ने अपने पत्रांक 800-2 दिनांक 09-09-2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री वर्मा द्वारा निम्नांकित राशि का प्रभार नहीं दिया गया है। 1 – सामान्य अग्रिम 25987315.00 – अग्रिम पंजी एवं सूची प्राप्त। 2 – बाढ़ एवं अग्नि अग्रिम 10584813.00 – 4130600.00 (एकतालीस लाख तीस हजार छः सौ) रूपया अंचल से चेक द्वारा प्राप्त। 6166750.00 अग्रिम सूची प्राप्त। 287463.00 का प्रभार अप्राप्त।	आरोपी कर्मी श्री वर्मा को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी उनके द्वारा आरोप संख्या 03 में अंकित विभिन्न मदों का प्रभार अवतक नहीं सौंपा गया है। इस आशय की पुष्टि उप महालेखाकार (सा. प्र–1)–सह–स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार के माध्यम से निर्गत पत्रांक–एल0ए0/सा0प्र0–1/रिपोर्ट/पतरघट/आई0ए0वाई0/104/426, दिनांक – 15-01-2016 प्रखंड कार्यालय, पतरघट से निर्गत पत्रांक–04–2, दिनांक– 02-01-2016

79535.00

5) निर्वाचन अभिश्रव

40204.00

6) मुख्यमंत्री कन्या विवाह

450000.00

जो सरकारी राशि का अस्थायी गवन का मामला बनता है।

से किया जा सकता है। अन्य राशि मो० 31,92,470/– रूपये प्रखंड के अन्य मद में खर्च किया गया।

उसी क्रम में मद 2245 (आ०प्र०) से 4,27,90,000/– रूपये कुल प्राप्त कराया गया, जिसके विरूद्ध शिविर प्रभारी के द्वारा मो० 4,68,72,000/– रूपये का अभिश्रव कार्यालय में प्राप्त कराया गया जो बाद में नियमानुसार पारितोपरांत अंचल नजारत को उपलब्ध कराया गया।

मेरे द्वारा अंचल नाजिर को अभिश्रवों का प्रभार दिया गया। इसके अलावे मो० 13,91,494/- रूपये का अभिश्रव अंचल नाजिर को प्राप्त कराया गया है, जो उनके द्वारा जाँच प्रक्रिया के अन्तर्गत लम्बित है।

प्रखंड नाजिर के रूप में मेरे द्वारा बाढ सहाय्य/अग्नि सहाय्य कार्य में व्यय की गयी

राशि एवं अंचल द्वारा लौटायी गयी राशि का विवरणी निम्न है :–

प्रखंड के खाते से निकासी की गई राशि	अंचल नजारत में जमा अभिश्रव	अंचल द्वारा प्रखंड को वापस की गई राशि	वापस करने हेत लंबित राशि	प्रखंड नजारत में जमा अभिश्रव	विभिन्न कर्मी/व्यक्ति के पास लंबित अग्रिम
01	02	03	04	05	06
2,64,05,000/–	1,70,10,327/–	1,56,18,833/–	13,91,494/–	35,500/–	61,66,750/–

आपत्ति के संबंध में स्पष्ट कराना है कि मेरे द्वारा उठाई गई राशि अग्रिम के रूप में रखा गया था, जो प्रखंड के सामान्य रोकड़ पंजी में प्रविष्ट की गई है। व्यय चूँकि अंचल में होना था इसलिए अंचल नजारत के उपरोकड पंजी में प्रविष्टी की गई

3	निर्वाचन अग्रिम 78637.00	78637.00 प्रभार अप्राप्त।
4	सामान्य अभिश्रव 79535.00	79535.00 प्रभार अप्राप्त।
5	निर्वाचन अग्रिम 40204.00	40204.00 प्रभार अप्राप्त।
6	मुख्यमंत्री कन्या विवाह 450000.00	450000.00 प्रभार अप्राप्त।
7	बाढ़ इन्दिरा आवास 870000.00	870000.00 प्रभार अप्राप्त।
वसूली योग्य राशि :–		**1805839.00**

इस प्रकार उपरोक्त मद का श्री वर्मा के पास 1805839.00 (अठारह लाख पाँच हजार आठ सौ उनचालीस) रूपया वसूली योग्य है। एवं अकेक्षण दल द्वारा श्री वर्मा के पास बाढ़ सहाय्य मद का 21.23 लाख रूपया कुल 3928839.00 रूपये वसूली योग्य राशि है।

इसके अलावा 07 अन्य व्यक्तियों पर अंकेक्षण दल द्वारा वसूली हेतु कार्रवाई का निदेश है जिसे नोटिस निर्गत किया गया है।

1	श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव से०नि० पंचायत सचिव	4762250/–
2	श्री विपीन यादव, पंचायत सचिव	86250/–
3	श्री इन्देश्वर दास, पंचायत सचिव बनमा ईटहरी	328050/–
4	श्री रणविजय यादव, ग्रामीण कपसिया	200000/–
5	श्रीमति जानकी कुमारी, ल0ई0ओ0	10000/–
6	श्री यदुनन्दन यादव, पंचायत सचिव	420950/–
7	श्री चन्द्रदेव प्रसाद यादव, राजस्व कर्मचारी	227250/–

तथा अंचल कार्यालय, पतरघट से निर्गत पत्रांक– 116-2, दिनांक– 27-02-2016 से होती है।

उपरोक्त आरोप एवं साक्ष्य के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आरोपी कर्मी पर लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है। अतः आरोपी कर्मी श्री राजेश कुमार वर्मा के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए इनके विरूद्ध बिहार सेवा संहिता के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

		है। अंचल से प्राप्त राशि प्रखंड के अग्रिम राशि से घटाकर सामान्य रोकड़ पंजी के लेखा विवरणी में अंकित की गई है। इस प्रकार मेरे द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत कार्य का सम्पादन किया गया है। अग्रिम सामंजस्य के बाद नोटिस निर्गत समय उनके जिम्मे 74,79,000/- रूपये रहा, जिसके लिए तत्कालीन समय में नोटिस निर्गत किया गया लेकिन नोटिस के बाद कुल सामंजित राशि के बाद उनके जिम्मे अवशेष राशि मो० 86,250/- रूपये बचा है। खाता संख्या 31 सेन्ट्रल बैंक, पस्तपार में CD Account पूर्व से चला आ रहा था एवं कंडिका में अंकित तिथि के द्वारा राशि की निकासी भी की गई थी। उक्त खाता मे ब्याज की राशि देने का प्रावधान नहीं रहने के कारण उक्त खाता मे निहित राशि SB खता संख्या 4904 को हस्तांतरित कर दिया गया । जिस वजह से खाता संख्या 31 वजूद में नही पाया गया।	श्री वर्मा से कुल 3928839/- (उनचालीस लाख अठाईस हजार आठ सौ उनचालीस) रूपये वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाय, सम्पूर्ण प्रभार प्राप्त होने पर स्पष्ट होगा कि इनके पास इसके अलावे और कितनी राशि बाँकी है या नहीं।	

निष्कर्ष :– आरोपी श्री राजेश कुमार वर्मा, निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, सोनवर्षा के विरूद्ध ''प्रपत्र–क'' में गठित आरोप, उपस्थापन पदाधिकारी के मन्तव्य, आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा एवं द्वितीय कारण–पृच्छा तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट द्वारा पत्रांक 800-2 दिनांक 09-09-2016 के प्रतिवेदन से स्पष्ट किया है कि विभिन्न मदों में श्री वर्मा द्वारा 18,05,839/- रूपये का प्रभार अबतक अपने प्रतिस्थानी को हस्तगत नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण दल द्वारा बाढ़ साहाय्य मद का श्री वर्मा के पास 21.23 लाख रूपये वसूली हेतु शेष दर्शाया गया है। इस प्रकार श्री वर्मा के पास मो० 39,28,839/- (उनचालीस लाख अठाईस हजार आठ सौ उनचालीस) रूपये वसूली योग्य राशि है। साथ ही, श्री वर्मा द्वारा श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, को मो० 47,62,250/– (सैतालीस लाख बासठ हजार दो सौ पचास) रूपये श्री इन्देश्वर दास, पंचायत सचिव, बनमा ईटहरी को मो० 3,28,050/– (तीन लाख अठाईस हजार पचास) रूपये श्री रण विजय यादव, गामीण कपसिया को मो० 2,00,000/– (दो लाख) रूपये श्रीमती जानकी कुमारी, एल०ई०ओ० को मो० 10,000/– (दस हजार) एवं श्री यदुनन्दन यादव, पंचायत सचिव को मो० 4,20,950/– रूपये अग्रिम दिया गया। जिसके अभिश्रव समायोजन एवं राशि वसूली का कोई वर्णन नहीं है।

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, वीरचन्द्र पटेल, मार्ग पटना के पत्र संख्या LA/ SS-I /Report /other LBS/ 420 /183 दिनांक 04.07.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि

श्री राजेश कुमार वर्मा, तत्कालिन नाजिर–सह– उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, पतरघट द्वारा कुल मो० 81.58 लाख (इकासी लाख अन्ठावन हजार) रूपये का गबन एवं दुर्विनियोग किया गया है।

श्री वर्मा द्वारा बार–बार लम्बी–लम्बी अवधि के लिए कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना अपने प्रतिस्थानी को प्रभार हस्तगत न कराना, रोकड़पंजी अपने पास रखना एवं स्थानान्तरण एवं नवपदस्थापन स्थान पर योगदान के वाबजूद बिना आदेश के रोकड़पंजी का संधारण करना श्री वर्मा के गलत मंशा एवं गबन को सम्पुष्ट करता है तथा उनके अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्ट आचरण का द्योतक है। श्री वर्मा का उक्त आचरण सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2005 में निर्दिष्ट प्रावधानों के विपरीत है। ऐसे भ्रष्ट एवं अनुशासनहीन सरकारी सेवक को सेवा में बने रहने देने से इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य कर्मियों पर भी पड़ सकता है। फलस्वरूप श्री वर्मा को बर्खास्तगी से कम की सजा दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (अद्यतन संशोधित) नियम 14 (IX) एवं 14(X) (संशोधित) के आलोक में मैं विनोद सिंह गुंजियाल, (भा०प्र०से०) समाहर्त्ता–सह– जिलाधिकारी, सहरसा श्री राजेश कुमार वर्मा, निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक (वर्त्तमान पदस्थापन– प्रखंड कार्यालय, पतरघट, जिला– सहरसा) को आदेश निर्गत की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

साथ ही, गबन की राशि 81.58 लाख (इकासी लाख अन्ठावन हजार) रूपये की वसूली हेतु इनके विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दर्ज करने का आदेश पारित करता हूँ।

श्री राजेश कुमार वर्मा से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

1. नाम	:–	श्री राजेश कुमार वर्मा
2. पदनाम	:–	उच्च वर्गीय लिपिक
3. पिता का नाम	:–	श्री बिन्देश्वरी प्रसाद वर्मा
4. जन्म तिथि	:–	10-10-1965
5. नियुक्ति की तिथि	:–	15-11-1985
6. सेवानिवृत्त की तिथि	:–	31-10-2025
7. वेतन बैण्ड / ग्रेड वेतन	:–	9300-34800
8. स्थाई पता	:–	ग्राम– पटोरी, पो०– पंचगछिया, थाना– बिहरा, जिला– सहरसा
9. वर्त्तमान पता	:–	प्रखंड कार्यालय, पतरघट।

ह०/–
जिलाधिकारी
सहरसा।

ज्ञापांक 43-117/2013-17.....825...../स्था० सहरसा, दिनांक 12/07/ 2017 ई०।

प्रतिलिपिः– श्री राजेश कुमार वर्मा, निलंबित उच्च वर्गीय लिपिक, प्रखंड कार्यालय, सोनवर्षा सम्प्रति (वर्त्तमान मुख्यालय– प्रखंड कार्यालय, पतरघट, सहरसा) को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रखंड विकास पदाधिकारी, पतरघट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। उन्हें आदेश दिया जाता है कि श्री वर्मा द्वारा गबनग्रस्त राशि के विरूद्ध नीलाम पत्र वाद दर्ज करते हुए संसूचित करेंगे।

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा, (जिला गजट प्रशाखा) सहरसा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, सहरसा/उप विकास आयुक्त, सहरसा/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाहर्त्ता के गोपनीय शाखा, सहरसा/अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, सहरसा/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सहरसा/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी; सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, सहरसा/आई०टी० मैनेजर, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

11.7.17

जिलाधिकारी
सहरसा।